पटना नगर निगम

नगर आयुक्त का न्यायालय

आदेश की तिथि	आदेश और पदाधिकारी हस्ताक्षर **आदेश**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

निगरानी वाद सं0–07बी0/2014

शिकायतकर्त्ता–श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, कवि रमण पथ, नागेश्वर कॉलोनी, पटना

बनाम

प्रतिवादी–श्रीमती सुचेता यादव(अधिवक्ता), पति– श्री दयानन्द सिंह (अधिवक्ता), कवि रमण पथ, नागेश्वर कॉलोनी, पटना

07.11.2017

यह वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–12857/11 में दिनांक 14.02.12 को पारित आदेश से उत्पन्न एम0जे0सी0 नं0–5435/12 श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.08.14 को पारित आदेश के अनुपालन में अभियंत्रण जांच दल कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग प्रमण्डल द्वारा नागेश्वर कॉलोनी कवि रमण पथ, भारतीय जनतांत्रिक जनता दल केन्द्रीय कार्यालय के पास, पटना में श्रीमती सुचेता यादव पति–श्री दयानन्द सिंह के निर्मित भवन का स्थल जाँच प्रतिवेदन दिनांक–08.09.2014 से उद्भूत हुआ। अभियंत्रण जांच प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

C.W.J.C No. 12857/11 में दिनांक – 14.02.2012 को पारित आदेश से उत्पन्न M.J.C No. 5435/2012 में दिनांक – 06.08.2014 के अनुपालन में नगर आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में Plan Case No. 387/83 जिसकी स्वीकृति दिनांक – 01.06.1983 को श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा प्राप्त की गयी थी का स्थल निरीक्षण आज दिनांक – 08.09.2014 को प्रमण्डल के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के साथ किया। वर्त्तमान में भूखण्ड खाली पाया गया तथा श्रीमती सुचेता यादव एवं उनके पति श्री दयानन्द सिंह के द्वारा कब्जा में पाया गया। श्री दयानन्द सिंह के द्वारा बताया गया श्रीमति सुचेता यादव एवं श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव दोनों भाई–बहन है और आपसी बँटवारा के द्वारा यह जमीन मेरी पत्नी के नाम से हो गया है। वर्त्तमान में यह मेरा किचेन गार्डेन है। उनसे पीछे के विवादित भूखण्ड के स्वामित्व संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिये कहा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा दस्तावेज लॉकर में रहता है जिसे मैं बाद में कार्यालय में दे दूँगा। तदोपरान्त उनके द्वारा आवासीत भवन जो G+1 दिखायी पडा के स्वीकृत नक्शा दिखाने के लिए कहा तो उसे भी लॉकर में रहने की बात कही।

श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव के स्वीकृत नक्शा के प्लान केश सं0 का आवलोकन किया। जिसके पृ0 15/प0 पर श्रीमति सुचेता यादव के द्वारा दिनांक 14.5.83 का एक शपथ पत्र है जिसकी कंडिका (1) एवं (2) में उल्लेख है कि

" That I have my own house in plot no. 1151 , Khata No. 62, ward no - 33 situated in east boring road, Patna-1. I have left 10 feet passage in east portion of the house. The passage is from south to north , lead to the plot of Sri Yogendra Pd. Yadav. who is my own brother . His plot in bearing plot no 1151, khata no 62 and ward no-33 is adjacent to my plot in north.

(2) That I declare that the said passage will be the common passage for me and for my brother named Sri Yogendra Pd. Yadav" (शपथ पत्र की छाया प्रति सुलभ अवलोकन हेतु संलग्न)

श्रीमति सुचेता यादव द्वारा दिए गए शपथ पत्र को उल्लंधन कर उस common passage को दीवाल से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण योगेन्द्र प्रसाद यादव के plot पर जाने का रास्ता पूर्णतः बंद है और वर्त्तमान में उस प्लाट पर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

श्रीमति सुचेता यादव एवं उनके पति श्री दयानन्द सिंह के द्वारा कब्जा में पाया गया। दोनो माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता है जिसका मोबाईल न0 9334988997 है।

आवासीय भवन के दक्षिण में नया दिवाल बनाकर पीछे (याचिका कर्त्ता) के भूखण्ड के रास्ता को बंद किया हुआ पाया गया जिसका रंग आवासीय भवन से मेल नहीं खाता है आवासीय भवन को रंग हल्का पीला था एवं प्रश्नगत दीवाल उजला रंग का था। बन्द किये गये रास्ता जो शपथ पत्र के अनुसार कॉमन पैसेज है, में श्रीमती सुचेता यादव का पोर्टिकों निर्मित पाया गया। दयानन्द सिंह से अनुरोध करने पर उनके मकान के पूर्वी भाग से अवस्थित ग्रील गेट खोलकर यांचिका में वर्णित भूखण्ड पर गया और उसका मापी लिया ।

श्रीमती सुचेता यादव एवं श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव (भाई–बहन) के बीच चल रहे जमीन संबंधी न्यायालय वाद में संबंध में कोई कागजात उपलब्ध कराने के लिये श्री दयानन्द सिंह से कहा गया तो उनके द्वारा Title suit No- 31/1995 की छायाप्रति उपब्ध करायी गया, जिसके वादी श्री सुनील कुमार यादव एवं श्री ललन कुमार यादव S/o श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव के द्वारा बारह व्यक्तियों को पार्टी बनाया गया है जिसमें श्रीमती सुचेता यादव को नाम छठ्ठे स्थान पर उल्लेखित है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। श्रीमती सुचेता यादव W/o श्री दयानन्द सिंह के द्वारा आवासी भवन की मापी की गयी जिसका स्केच संलग्न है।

उपरोक्त के आलोक में संबंधित प्रतिवादी को इस कार्यालय का ज्ञापांक–5561, दिनांक– 09.09.2014 द्वारा कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचित किया गया । दिनांक 15.05.15 के द् टाईम्स ऑफ इण्डिया, दैनिक समाचार में इस वाद की सुनवाई हेतु दिनांक 23.05.15 को तिथि निर्धारण का आम सूचना प्रकाशित किया गया।

दिनांक–23.05.2015 को हुई सुनवाई में वादी उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी अनुपस्थित रहे। वादी के द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी के द्वारा बिना सेट बैक छोड़े भवन का निर्माण कर रहे हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस मामले में एक स्वत्ववाद व्यवहार न्यायालय में भी चल रहा है।

दिनांक 27.02.16 को हुई सुनवाई उभय पक्ष उपस्थित हुए। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु समुचित कागजातो को संग्रहित करने के लिए समय दिया जाय। जिसे स्वीकार किया गया।

दिनांक 12.11.16 को हुई सुनवाई पर प्रतिवादी स्वयं तथा वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अन्नु प्रियदर्शिनी उपस्थित हुए। वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा बताया गया कि इस मामले में माननीय व्यवहार न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित मामला समाप्त हो चुका है। प्रतिवादी को रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का निदेश दिया गया तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता को एक माह के अन्दर अद्यतन स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने के लिए निदेशित किया गया।

दिनांक 15.07.17 को हुई सुनवाई पर वादी अपने विद्वान अधिवक्ता अनु प्रियदर्शिनी के साथ उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी अनुपस्थित रहें। पूर्व की सुनवाई दिनांक

12.11.16 को रास्ते पर किये अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रतिवादी को दिये गये निदेश तथा कार्यपालक अभियंता को अद्यतन स्थल का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का दिये गये निदेश का अनुपालन अप्राप्त पाया गया। कार्यपालक अभियंता को 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। वादी के द्वारा पूर्व की सुनवाई में बतलाई गयी बात पुनः दोहराई गयी एवं अनुरोध किया गया कि प्रतिवादी के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा दिया जाय। वादी के अनुरोध पर आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया।

अभिलेख के अवलोकन से निम्नांकित बातें स्पष्ट होती है–

(1) प्रतिवादी के द्वारा अपना भवन निर्माण के लिए प्लान केश नं0–363/72 दिनांक 28.09.72 से स्वीकृति प्राप्त की गयी है। जिसमें भूखण्ड के पूरब की ओर 10फीट, पश्चिम की ओर 10फीट, दक्षिण की ओर 06फीट तथा उत्तर की ओर 06फीट सेट बैक का प्रावधान किया है।

(2) वादी के भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण हेतु नक्शे के स्वीकृति प्राप्त करते समय प्रतिवादी द्वारा अपने भूखण्ड में से पूरब की ओर 10फीट चौड़ी भूपट्टी उत्तर से दक्षिण कॉमन पैसेज के रूप में उपलब्ध कराने का शपथ–पत्र दिया गया था। जिसके उपरान्त वादी के प्रस्तावित भवन का नक्शा प्लान केस सं0–387/83 दिनांक 01.06.1983 को स्वीकृत हुआ। वर्त्तमान जाँच में यह भूखण्ड खाली पाया गया है।

(3) शपथ–पत्र का उल्लंघन करते हुए कॉमन पैसेज में प्रतिवादी द्वारा पोर्टिको का निर्माण किया गया है तथा कॉमन पैसेज को दीवाल से बन्द कर दिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न आदेश पारित किये जाते हैः–

(1) प्रतिवादी कॉमन पैसेज में निर्मित पोर्टिको एवं पैसेज को अवरूद्ध किया दीवाल को अपसारित करेंगे।

(2) प्रतिवादी कंडिका (1) के अनुपालन के उपरान्त पूरब की ओर सेट बैक के हिस्से को शपथ–पत्र के माध्यम से कॉमन पैसेज के रूप परिवर्तित करने के पश्चात् उत्पन्न परिस्थिति के लिए नक्शे की पुनरीक्षण स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष नियमानुसार आदेवन दाखिल करें।

(3) वादी के द्वारा स्वीकृत कराया गया नक्शा से संबंधित भूखण्ड खाली पाया गया है एवं नक्शे की वैद्यता भवन उपविधि के प्रावधानानुसार समाप्त हो चुकी है। अतएव वादी भी नक्शे की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से नियमानुसार प्राप्त कर ही भवन का निर्माण करेंगे।

उपरोक्त कंडिका (1) एवं (2) का अनुपालन प्रतिवादी 30 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करें। यदि प्रतिवादी आदेश का अनुपालन ससमय नहीं करते है तो प्रतिवादी

के सम्पूर्ण अवैध संरचना को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–323 के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रण्डल (उत्तरी), पटना नगर निगम द्वारा अपसारित कर दिया जायेगा एवं अपसारण पर हुए व्यय की वसूली प्रतिवादी से पटना नगर निगम कर तथा गैर कर राजस्व वसूली विनियम,2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाएगी। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेज दें।

लेखापित एवं संशोधित

नगर आयुक्त

नगर आयुक्त 07/11/17

ज्ञाप संख्याः– 11716 /प.न.नि., पटना, दिनांक– 14-11-17

प्रतिलिपिः– (1) प्रतिवादी– श्रीमती सुचेता यादव(अधिवक्ता), पति– श्री दयानन्द सिंह (अधिवक्ता), कवि रमण पथ, नागेश्वर कॉलोनी, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(2) शिकायतकर्त्ता– श्री योगेन्द्र प्रसाद यादव, कवि रमण पथ, नागेश्वर कॉलोनी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13.11.17

निगरानी पदाधिकारी
पटना नगर निगम।

ज्ञाप संख्याः– 11716 /प.न.नि., पटना, दिनांक– 14-11-17

प्रतिलिपिः– निदेशक, शहरी योजना /कार्यपालक अभियंता, नूतन राजधानी प्रमंडल (उत्तरी) पटना नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.11.17

निगरानी पदाधिकारी
पटना नगर निगम।